



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 253 राँची, गुरुवार,

4 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 अप्रैल, 2023

संख्या-5/आरोप-1-204/2017-19967 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रदीप कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-21/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरनपुर, पाकुड़ के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2009-10 में क्रियान्वित तीन योजनाओं को महज 03 वर्ष के अंतराल पर ही अधुरा एवं विवादित बताते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुनः उसी स्थल पर (1) योजना संख्या 03/2014-15 कृष्ण मडैया के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार (2) योजना संख्या-04/2014-15 बलदेव साहा के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार एवं (3) योजना संख्या 05/2014-15 देवेन्द्र साहा के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार कार्य करवाने एवं क्रियान्वित योजनाओं में FTO करते हुए राशि का गबन करने में सहयोग करने, अभिकर्ता के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन नहीं करवाने तथा उक्त तीनों योजना में फर्जी मस्टर रोल के सहारे लोकधन का जालफरेबी, धोखाधड़ी एवं कुटकरण के सहारे गबन कराकर बंदरबांट करने संबंधी आरोप, जैसा कि प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक-421/वि०, दिनांक 14.12.2017 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-598/स्था०, दिनांक 17.11.2017 द्वारा गठित आरोप-पत्र (प्रपत्र-‘क’) में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री रामाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRADIP KUMAR 20060400009	श्री प्रदीप कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-21/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरनपुर, पाकुड़ संप्रति- संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री प्रदीप कुमार, झांप्र०से० एवं श्री रामाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भांप्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
